

हिमाचल प्रदेश सरकार  
पंचायती राज विभाग।

संख्या-पी.सी.एच.-एच.ए.(1) 4/2006-।।।-45285

तारीख, शिमला-171009,

26 मार्च, 2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2011 का प्रारूप, अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(1) 4/2006-।।। तारीख 5 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 5 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक-4) की धारा 97-ग, 97-च, 97-छ, 97-ज और 97-झ के साथ पठित धारा 186 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार** .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2011 है।  
(2) इन नियमों के उपबंध राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में गठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं** .- (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है ;

(ख) "सामुदायिक संसाधनों या संसाधनों" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है व्यस्तियों द्वारा स्वामित्व वाली भूमि को अपवर्जित करके सभा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रान्त में अवस्थित भूमि, जल, वन, खनिज और अन्य संसाधन ;

(ग) "परामर्श" से इन नियमों के अधीन आज्ञापक परामर्श अभिप्रेत है ;

(घ) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनी है जिनके नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हैं;

(ङ) "लघु वन उपज" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है पादप मूल की समस्त गैर-इमारती वन उपज सहित चिलगोजा, न्योज, भोजपत्र, अखरोट, रत्नजोत,

शिंगनी-मिंगनी, कशमल, बॉस, झाड़-झंखाड़, टूठ, बेंत, टसर, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केन्दू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़े, कन्द जैसे सठ जलनोरी, कारू, धूप, चोरा, बनफशा, मुश्कबाला, मामीरी, बन अजवायन, गुच्छी, डोरी, ककड़सिंगी, सालम मिश्री, टुठ, कालाजीरा, बटकेश, गलोय, सालम पंजा, निहानी, बच, कैल कोन, दसगटुली, चलोरा, तेजपत्र, कपर कचरी, पतीशन जड़ें, बिच्छूबूटी, देवदार रोजेटी, कुशकोन, बारीफूल, कैंथ, बिन्दीफूल, ब्रास फूल, पठान बेल, ग्रीन मौसघास, खरेरा/बसन्ती, वन हल्दि, बाथरपत्ता या राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध और इस प्रकार घोषित कोई अन्य लघु वन उपज;

- (च) "लघु जलाशय (वाटर बाडी)" से पेयजल निकालने के लिए प्रयुक्त जलाशय अभिप्रेत हैं चाहे व नदी, नाला, झील हो और जिसके उपर चैक डैमों को विनिर्माण किया जा सके तथा जिसमें पांच हैक्टेयर तक की भूमि की सिंचाई करने की क्षमता हो;
- (छ) "समुचित स्तर पर पंचायत" से पंचायत का निम्नतर स्तर (श्रेणी) अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट कृत्य का अनुपालन कर सकेगा (सकेगी) या जिसके क्षेत्र में विशिष्ट संसाधन अवस्थित है; और
- (ज) "अधिसूचित क्षेत्र" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) के अधीन घोषित अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।

3. **ग्राम सभा द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अभिरक्षण .-** (1) ग्राम सभा, धारा 97-ग के अधीन अपने क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में, जिनके ऊपर यह जल, वन, भूमि, से सबन्धित पारम्परिक अधिकारों का उपयोग, स्थानीय परम्परा तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विधियों की भावना के अनुसार करती है अवस्थित के अभिरक्षण और परिरक्षण के लिए सक्षम होगी।

(2) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि ,-

- (क) आजीविका के साधन अविरत रहें ;
- (ख) लोगों के मध्य असमानता न बढ़ें ;
- (ग) संसाधन कुछ ही लोगों तक सीमित न रहें ; और
- (घ) अविरतता के दृष्टिगत स्थानीय संसाधनों का पूर्णतया उपभोग हो,

और संसाधनों का प्रबन्धन विद्यमान नियमों के अनुसार प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर

व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करते हुए, सामुदायिक सम्पदा की अन्तर्निहित भावना के दृष्टिगत ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

4. **संसाधन, योजना और प्रबन्धन समिति** .— (1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के प्रधान और सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सभा सदस्यों के कम से कम पांच अन्य सदस्यों, जो पंचायत के पदाधिकारी नहीं हैं, से संसाधन, योजना और प्रबन्धन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् आर.पी.एम.सी. कहा गया है) का गठन करेगी।

(2) आर.पी.एम.सी. का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगा।

(3) आर.पी.एम.सी. की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और एसी बैठक का आयोजन करना प्रधान का कर्तव्य होगा। यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक आर.पी.एम.सी. का सचिव होगा।

(4) राज्य सरकार के कृषि, वन, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य और राजस्व विभागों के खण्ड विकास स्तर कार्यालय के प्रतिनिधि, आर.पी.एम.सी. के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और इसकी बैठकों में भी भाग लेंगे।

(5) आर.पी.एम.सी. सभा क्षेत्र में समस्त संसाधनों के हर सम्भव बेहतर उपयोग के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करेगी और उनका तदनुसार उपयोग करने के लिए सभा सदस्यों के सलाह देगी तथा सहकार करेगी।

(6) आर.पी.एम.सी. संसाधनों के प्रबन्धन और उपयोग के सम्बन्ध में मतभेद या विवाद के पहलुओं सहित समस्त पहलुओं पर विचार करेगी तथा यदि आर.पी.एम.सी. किसी विवादक को सुलझाने में समर्थ नहीं है, तो उक्त विवादक ग्राम सभा को विचार के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। उस पर ग्राम सभा का विनिश्चय अन्तिम होगा।

5. **ग्राम सभा का खेती बाड़ी के लिए योजना बनाना** .— (1) ग्राम सभा धारा 97-ग के अधीन योजना बनाने के लिए सक्षम होगी और खेतीबाड़ी को मितव्ययी रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उपायों पर विचार करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई करेगी ,—

(क) भू-क्षरण की रोकथाम ;

(ख) फसलों के संरक्षण के आशय से चराई व्यवस्थित करना और चरागाहों की क्षमता को बढ़ाना ;

(ग) खेतीबाड़ी के उपयोग के लिए वर्षा जल संग्रहण करना और इसका वितरण करना ;

(घ) बीज, खाद आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ आपसी सहकार या अन्यथा जानकारी बांटना ; और

(ङ) जैविक खाद, उर्वरकों (फर्टिलाइजर) और कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

6. **भू-प्रबन्धन** .- (1) ग्राम सभा, अपने क्षेत्र में गांव की समस्त भूमि के अभिलेखों, का यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों के नाम सही रूप से अभिलिखित हैं और अभिलेख समुचित रूप से अनुरक्षित हैं, पुनर्विलोकन करने के लिए सक्षम होगी।

(2) सम्बद्ध राजस्व कर्मचारियों के लिए यह आज्ञापक होगा कि वे जहाँ स्वामी या भूमि का खेतिहर बदल जाता है, विक्रय, बन्धक, पट्टा-संविदा इत्यादि द्वारा भूमि के अन्तरण से पूर्व ग्राम सभा को नोटिस दे।

7. **भूमि के अन्यसंक्रामण की रोकथाम** .- (1) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कोई भूमि, गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को अन्तरित न हो। यदि ऐसी भूमि के अन्यसंक्रामण का कोई मामला ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के नोटिस में आता है, तो उस दशा में, राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बद्ध प्राधिकारी को इस बाबत रिपोर्ट करने का प्रधान का कर्तव्य होगा। उक्त प्राधिकारी विधि विरुद्धतया अन्यसंक्रामित भूमि को भूमि के वास्तविक स्वामी को प्रत्यावर्तित करने के आगामी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) ग्राम सभा, शिकायतों पर या स्वप्रेरणा से भूमि के किसी भी संव्यवहार की जांच करने को सक्षम होगी। सम्बद्ध ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ग्राम सभा की जांच रिपोर्ट, सम्बद्ध पंचायत समिति और जिला परिषद् के अध्यक्ष के उक्त रिपोर्ट की प्रत्येक को एक-एक प्रति सहित, राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बद्ध प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

(3) यदि ग्राम सभा की यह राय है कि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन भूमि के अन्यसंक्रामण के प्रयास किए जा रहे हैं, तो यह ऐसे संव्यवहार को प्रतिसिद्ध करने के लिए अनुदेश जारी करेगी। ऐसे मामलों में ग्राम सभा का विनिश्चय अन्तिम होगा और सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

8. **अन्यसंक्रामित भूमि का प्रत्यावर्तन** .- (1) यदि ग्राम सभा को ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य से अन्यथा किसी व्यक्ति के पास किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा स्वामित्व वाली कोई भूमि कब्जे में है, तो यह ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से ऐसी भूमि को, उस व्यक्ति के जिससे यह मूलतः सम्बन्धित है और यदि वह व्यक्ति मृतक है, तो उस दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी के कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए, मामले को राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बद्ध प्राधिकारी से उठाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन भूमि के प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित विवाद की दशा में, ग्राम सभा इनके विवाद संकल्प के रूढ़िक ढंग का अनुसरण करेगी।

9. **भू-अर्जन से पूर्व परामर्श** .- (1) जब सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भू-अर्जन को किसी भी मामले पर विचार करती है, तो सरकार या सम्बद्ध प्राधिकारी, 97-च के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा को लिखित प्रस्ताव सहित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा :-

- (क) परियोजना के संभव प्रभाव सहित प्रस्तावित परियोजना की सम्पूर्ण रूपरेखा ;
- (ख) प्रस्तावित भू-अर्जन ;
- (ग) सभा क्षेत्र में संभाव्य बसाए जाने वाले नए लोग और क्षेत्र तथा सोसाइटी पर संभव प्रभाव ;
- (घ) गांव के लोगों के लिए प्रस्तावित सहभागिता, प्रतिकर की रकम, कार्य के अवसर ; और
- (ङ) पुनर्वास और सतत आजीविका योजना ।

(2) सम्पूर्ण सूचना प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्ध ग्राम सभा, सम्बद्ध प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए सक्षम होगी और राज्य सरकार उनका या तो वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से परीक्षण करेगी। बुलाए गए समस्त व्यक्तियों के लिए बिन्दु अनुसार स्पष्ट और सही सूचना देनी आज़ापक होगी।

(3) ग्राम सभा समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तथा विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना के सम्बंध में सिफारिश करेगी।

(4) ग्राम सभा की सिफारिश पर भू-अर्जन अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(5) यदि भू-अर्जन अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों से अहसमत है, तो वह मामले को ग्राम सभा को पुनः विचार के लिए भेजेगा।

(6) द्वितीय परामर्श के पश्चात्, यदि भू-अर्जन अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों के विरुद्ध आदेश पारित कर देता है, तो वह ऐसा करने के लिए कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।

(7) पुनर्वास और सतत आजीविका योजना की प्रगति रिपोर्ट, भू-अर्जन के लिए अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन मास के पश्चात्, ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(8) यदि, यथास्थिति, ग्राम सभा और पंचायत समिति की राय में सुझाए गए उपायों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, तो ग्राम सभा उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग को, लिखित में सूचित कर सकेगी, और यह उक्त विभाग के लिए आज़ापक होगा कि वह समुचित कार्रवाई करें।

10. **जल संसाधनों की योजना और प्रबन्धन** .— (1) जल संसाधनों का प्रबन्धन और उपयोग की योजना, अधिनियम की धारा 97-छ के उपबंधों के अनुसार, ऐसी रीति में बनाई जाएगी कि जिसमें वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अविकल रहें और समस्त ग्रामवासियों का इन संसाधनों पर अधिकार रहे।

(2) ग्राम पंचायत के भीतर के जलाशयों का प्रबन्धन ग्राम पंचायत द्वारा, जो एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र में फैले हुए हैं, सम्बद्ध पंचायत समिति द्वारा और जो एक से अधिक पंचायत समिति क्षेत्र में फैले हुए हैं, का प्रबन्धन परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(3) आर.पी.एम.सी. और सम्बद्ध ग्राम सभा से परामर्श के पश्चात्, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् अपनी परम्पराओं और विद्यमान विधियों की भावना के दृष्टिगत, विभिन्न प्रयोजनों

के लिए गांव में उपलब्ध जल का उपयोग व्यवस्थित करेगी और प्रथा की पूर्विक्ता के बारे में भी विनिश्चय करेगी।

11. **तालाबों के लिए भूमि का प्रबन्धन** .— आर.पी.एम.सी. और सम्बद्ध विभागों के साथ परामर्श से, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए तालाबों के जलस्तर के घटने के परिणाम स्वरूप, उपलब्ध भूमि की खेतीबाड़ी के लिए व्यवस्था करेगी। यह उस भूमि पर, राज्य सरकार के नियमों के दृष्टिगत, उद्ग्राह्य दर के बारे में भी विनिश्चय करेगी।

12. **मछली पकड़ना आदि** .— (1) समस्त ग्राम सभा सदस्यों का, गांव के क्षेत्र के भीतर अवस्थित जल संसाधनों में, परिपाटी के अनुसार मछली पकड़ने के लिए समान अधिकार होगा।

(2) ग्राम पंचायत, स्थानीय परम्पराओं के दृष्टिगत, मछली पकड़ने के किसी पहलू की बाबत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक या एक से अधिक व्यक्ति अनुचित रीति में उसकी/उनकी सीमा का अतिक्रमण न करे और मछलियों की उपलब्धता भी अनुरक्षित रहे, आवश्यक शर्तें अधिरोपित करेगी।

13. **ग्राम सभा द्वारा लघु खनिजों के लिए योजना बनाना** .— (1) ग्राम सभा, धरा 97—ज के अधीन, सभा क्षेत्र में मिट्टी, पत्थर, रेत आदि सहित समस्त लघु खनिजों के उत्खनन और उपयोग की योजना बनाने और उन पर नियन्त्रण करने को सक्षम होगी। ग्राम सभा का इस निमित्त लिया गया विनिश्चय, सम्बद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(2) सभा के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अपनी परम्परागत परिपाटी के अनुसार अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिए लघु खनिजों का उपयोग कर सकेंगे कि,—

(क) ग्राम सभा, परम्परागत आवासों से भिन्न, पक्के घरों को बनाने के लिए लघु खनिजों, जैसे पत्थर, रेत आदि के उपयोग की सीमा का विनिश्चय करेगी और उस पर रायल्टी भी अधिरोपित कर सकेगी, जो पंचायत निधि का भाग होगी;

(ख) लघु खनिजों के उपयोग और दोहन के लिए ग्राम पंचायत से अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा ; और

(ग) ग्राम सभा व्यक्तियों द्वारा लघु खनिजों का उपयोग करने के लिए किए गए उत्खनन के दुष्प्रभाव की क्षतिपूर्ति जैसे गड्ढे भरना, वृक्षारोपण करना, तालाब विनिर्माण करना आदि का उत्तरदायित्व नियत करेगी।

(3) राज्य सरकार का सम्बद्ध विभाग, ग्राम सभा के परामर्श से, पर्यावरण, नियोजन इत्यादि के संरक्षण के लिए ग्राम सभा द्वारा ऐसे पट्टे के लिए अधिरोपित अन्य शर्तें, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए, केवल लघु खनिजों के लिए खान पट्टा प्रदान कर सकेगी।

(4) (क) लघु खनिज उत्पादन की वाणिज्यिक संभाव्यता वाले गावों में लघु खनिजों के वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने की अनुज्ञा देने से पूर्व, राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग का

उत्तरदायित्व होगा कि वह ग्राम सभा से परामर्श करे।

- (ख) पर्यावरण आदि के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा यदि कोई शर्त अधिरोपित की गई है, तो सम्बद्ध अधिकारी, ग्राम सभा को इस बाबत सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाएगा।
- (ग) लघु खनिजों के दोहन की योजना में व्यवस्थाएं, जैसे कि उत्खनन क्षेत्र, क्षेत्र का प्रकार, उत्खनन के दुष्प्रभाव का प्रबन्धन जैसे गड्ढों की स्थिति, पानी की कमी या पेड़-पौधों की कमी, खेतों में राख और धुएँ का प्रभाव इत्यादि सम्मिलित होगा ताकि गड्ढों को भरकर, वृक्षारोपण द्वारा या अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा इन समस्त प्रभावों को निष्प्रभाव किया जाए।
- (5) किसी सरकारी विभाग द्वारा लघु खनिजों के दोहन के लिए यदि कोई छूट दी गई है, तो उक्त विभाग के लिए लघु खनिजों का नीलामी द्वारा दोहन करने के लिए छूट प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुज्ञा प्राप्त करना आज्ञापक होगा।

14. **मादक पदार्थों का विनियमन .—** (1) ग्राम सभा, धारा 97—झ (ख) के अधीन अपनी सीमाओं के भीतर किसी मादक पदार्थ के विक्रय और उपभोग के प्रतिबन्ध करने या उसका विनियमन करने या निर्बन्धन प्रवर्तित करने के लिए सक्षम होगी जिसके लिए ग्राम सभा इस निमित्त पारित प्रस्ताव द्वारा,—

- (क) जनजातीय लोगों को उनके अपने उपयोग के लिए स्थानीय शराब निकालना पूर्णतया अनुज्ञात कर सकेगी या इसके ऊपर गाँव में किसी प्रकार का प्रतिबंध अधिरोपित कर सकेगी ;
- (ख) दुकान से या किसी अन्य रीति में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के विक्रय को बन्द कर सकेगी :

परन्तु ये अनुदेश आगामी वित्तीय वर्ष से प्रवृत्त होंगे ;

- (ग) किसी प्रकार से मादक पदार्थ को गाँव की क्षेत्रीय सीमा में लाने या इसे गाँव की क्षेत्रीय सीमा से बाहर ले जाने पर निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगी ;
- (घ) किसी स्थान पर मादक पदार्थों का भण्डारण प्रतिबन्ध कर सकेगी या उसकी सीमा नियत कर सकेगी ;
- (ङ) अपने क्षेत्र में शराब या अन्य मादक पदार्थ के उपयोग के पूर्णतः पाबन्दी लगा सकेगी या कोई निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगी ;
- (च) शराब को बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री जैसे कि मक्का, फल, जैगरि इत्यादि के विक्रय को विनियमित कर सकेगी ; और
- (छ) स्थानीय स्तर पर बनाई गई शराब, जैसे की अंगूरी, सूल्फी, चूली, बेमी, सेब, किवी, ब्राण्डी, छांग या किसी अन्य स्थानीय नाम से ज्ञात, के उपयोग को विनियमित कर सकेगी।

- (2) (क) ग्राम सभा या तो शिकायत (शिकायतों) के आधार पर या स्वप्रेरणा से मादक पदार्थों से सम्बन्धित मामलों की जांच के लिए, ग्राम सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले कम से कम सात सदस्यों से गठित, मत्तता नियन्त्रण समिति गठित कर सकेगी और सभा सदस्यों के हित के लिए मादक पदार्थों के नियन्त्रण से सम्बन्धित उपयुक्त सुझाव देगी :

परन्तु मत्तता नियन्त्रण समिति के कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(ख) मत्तता नियन्त्रण समिति ,—

- (i) सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रकार के मादक पदार्थों का विनिर्माण करने वाले कारखाने/आसवनियां अनुज्ञापति में वर्णित समस्त शर्तों का पालन कर रही हैं और किसी उल्लंघन की दशा में, ग्राम सभा को सक्षम आबकारी प्राधिकारियों के माध्यम से आगामी कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए मामले की रिपोर्ट करेगी ; और
- (ii) सम्बद्ध कारखाने/आसवनी के स्वामी के शराब के विनिर्माण, वितरण प्रणाली, इसके पर्यावर्णीय प्रभाव इत्यादि सहित लोगों के कल्याण से सम्बन्धित समस्त मामले ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(ग) ग्राम सभा ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से मत्तता नियन्त्रण समिति के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आबकारी विभाग से परामर्श और सहायता ले सकेगी।

- (3) (क) ग्राम सभा की सहमति के बिना शराब या अन्य मादक पदार्थों के विनिर्माण के लिए कोई कारखाना/आसवनी स्थापित नहीं की जाएगी।

(ख) ग्राम सभा की सीमाओं में, सरकार या अन्य अभिकरण द्वारा शराब या अन्य मादक पदार्थों के विनिर्माण का कारखाना/आसवनी स्थापित करने, या शराब के विक्रय के लिए नई दुकान खोलने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से परामर्श के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठक में सभा सदस्यों की सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर ग्राम सभा की आगामी बैठक में या विशेष बैठक में विचार किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव पर ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ग) यदि ग्राम सभा विवाद्यक पर कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है या प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता है, तो उक्त प्रस्ताव मंजूर किया गया नहीं समझा जाएगा।

15. **वन उपज के दोहन के लिए ग्राम सभा से परामर्श .—** (1) धारा 97—झ (क) के अधीन वन उपज के दोहन के लिए विभागीय कार्यक्रम तैयार करने से पूर्व वन विभाग ग्राम सभा से परामर्श करेगा।

(2) वन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वन उपज का दोहन सामान्य वन विधियों के दृष्टिगत लोगों की सहमति से तैयार की गई स्कीम के अनुरूप है और कोई भी ऐसे पौधे/वृक्ष काटे नहीं जाएंगे जो स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वन उपज का कोई अवैध

निर्यात न हो।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में लघु वन उपज के बारे में किन्हीं उपबन्धों के बावजूद, वन उपज का प्रबन्धन लघु वन उपज के स्वामित्व, संग्रहण की पहुँच, उपयोग और व्ययन के अधिकार के संरक्षण के लिए किया जाएगा जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुरूप सभा क्षेत्र में या इसके बाहर पारम्परिक रूप से संगृहीत किया गया हो।

(4) ग्राम सभा सम्बद्ध वन अधिकारी से परामर्श करके लघु वन उपज के उपयोग या दोहन की बाबत कार्रवाई योजना तैयार कर सकेगी।

(5) ग्राम सभा, लघु वन उपज की सीमित मात्रा की दशा में कुछ लोगों, जैसे कि संसाधन विहीन और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों, द्वारा इसके संग्रहण और उपयोग के लिए चक्रीय व्यवस्था कर सकेगी।

(6) ग्राम सभा लघु वन उपज के दोहन के लिए नियमों का सर्वधा अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए सक्षम होगी ताकि लघु वन उपज का संग्रहण करने वाले व्यक्ति कोई ऐसा कार्य न करें जिससे वन को नुकसान हो।

16. **लघु वन उपज पर रायल्टी** .— (1) वन विभाग, लघु वन उपज के विक्रय मूल्य के दृष्टिगत, समय-समय पर, लघु वन उपज के व्यौहारियों द्वारा संदेय रायल्टी अवधारित और अधिसूचित करेगा।

(2) लघु वन उपज का व्यौहारी, सम्बद्ध ग्राम पंचायत को इसके प्रधान के माध्यम से लघु वन उपज के निर्यात के लिए पारगमन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(3) ग्राम पंचायत का प्रधान आवेदन (आवेदनों) के प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् उसे/उन्हें ग्राम पंचायत की बैठक में विचार करने और अनुमोदन के लिए रखेगा।

(4) ग्राम पंचायत के अनुमोदन के अध्यक्षीन, प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि उक्त आवेदन (आवेदनों) को वन विभाग के सम्बद्ध वन रक्षक को सिफारिशों के लिए अग्रेषित करे। उक्त आवेदन (आवेदनों) की प्राप्ति पर वन रक्षक सत्यापित करेगा कि अनुमोदित निष्कासन चक्र के अनुसार प्रजातियां विनिर्दिष्ट क्षेत्र से निकाल दी गई हैं और निष्कासन सत्त रीति में किया गया है तथा क्षेत्र में कोई परीस्थितिकीय या पर्यावरणीय क्षति कारित नहीं हुई है और उक्त आवेदन (आवेदनों) को, सम्बद्ध ग्राम पंचायत के प्रधान को, उक्त आवेदन (आवेदनों) पर अपनी लिखित सिफारिशों के पश्चात् पारगमन अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों को जारी करने के लिए वापस करेगा।

(5) वन रक्षक की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् प्रधान, यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक के माध्यम से, लघु वन उपज के निर्यात के लिए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 से संलग्न प्ररूप-3 में जारी रसीद द्वारा ऐसी दरों पर, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा अधिसूचित हैं, व्यौहारियों से अनुज्ञापत्र फीस वसूल करेगा।

(6) उप नियम (3) और (4) में वर्णित प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् ही हिमाचल प्रदेश फारेस्ट प्रोड्यूस ट्रॉजिट (लैंड रूटस) रूल्ज, 1978 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रारूप पर, यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक द्वारा समयक् रूप से हस्ताक्षरित और ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पारगमन अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा। पारगमन अनुज्ञापत्र की द्विपत्रीक प्रति सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी।

(7) यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक का कर्तव्य होगा कि वह पारगमन अनुज्ञापत्र पर निम्नलिखित ब्यौरे दें :-

- (क) बैठक की प्रस्ताव संख्या और तारीख जिसमें ग्राम पंचायत ने पारगमन अनुज्ञापत्र जारी करने से सम्बन्धित मामले को अनुमोदित किया है ;
- (ख) निर्यात किए जाने के लिए लघु वन उपज की किस्म और मात्रा ;
- (ग) ग्राम पंचायत की रसीद संख्या सहित वसूल की गई अनुज्ञा फीस की रकम ; और
- (घ) अवधि जिसके लिए पारगमन अनुज्ञापत्र विधिमान्य रहेगा :

परन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी पारगमन अनुज्ञापत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से छह मास से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य नहीं होगा।

(8) लघु वन उपज के निर्यात के लिए पारगमन अनुज्ञापत्र को जारी करने के लिए वसूल की गई फीस की रकम पंचायत निधि का भाग बनेगी और इसे तुरन्त, यथास्थिति, डाकघर या सहकारी बैंक या किसी अधिसूचित बैंक में ग्राम पंचायत के खाते में, जहां पंचायत निधि रखी जाती है, जमा किया जाएगा।

(9) यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक का यह कर्तव्य होगा कि ग्राम सभा की बैठक में सभा सदस्यों की सूचना के लिए अनुज्ञापत्र को जारी करने से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे रखे :-

- (क) जारी किए गए पारगमन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्रों) की संख्या ;
- (ख) व्यौहारी (व्यौहारियों) का/के नाम जिसे/जिन्हें पारगमन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्रों) को जारी किया गया है ;
- (ग) लघु वन उपज की किस्में और मात्रा जिसके लिए पारगमन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्रों) के जारी किया गया है ; और
- (घ) वसूल की गई अनुज्ञा फीस की रकम।

(10) वन मण्डल अधिकारी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापत्रों से सम्बन्धित अभिलेख, वसूल की गई फीस, लघु वन उपज की किस्म और मात्रा जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, अनुरक्षित रखेगा ताकि लघु वन उपज के अवैध निर्यात के मामलों और निधियों के दुर्विर्नियोग पर निगरानी रखी जा सके।

17. **लघु वन उपज का शासकीय प्रबन्धन** .- (1) यदि राज्य सरकार जनजातिय हितों के संरक्षण के

आशय से किसी लघु वन उपज का व्यापार सुव्यवस्थित करती है, तो ऐसा व्यापार सभा सदस्यों की ओर से किया गया व्यापार समझा जाएगा, किन्तु उक्त व्यवस्था के लिए ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। ग्राम सभा के सुझावों के आधार पर, ऐसे व्यापार में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

(2) ऐसे व्यापार में, ग्राम सभा और लघु वन उपज का संग्रहण करने और व्यापार करने वाले व्यक्तियों का शुद्ध लाभ पर पूर्ण अधिकार होगा।

18. **लघु वन उपज के लिए स्कीम** .— (1) सभा सदस्यों की अपेक्षाओं, जैसे चरागाह, ईंधन की लकड़ी, आवास और हल बनाने, को पूरा करने के लिए ग्राम सभा संबंधित वन अधिकारी के परामर्श से लोगों द्वारा परम्परागत ढंग से उपयोग में लाई जाने वाली वन संपदा के उपयोग हेतु एक स्कीम तैयार करेगी। इस स्कीम के अधीन सभा क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आर. पी. एम. सी. से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात् संपदा का उपयोग कर सकेगा।

(2) ग्राम सभा विनियम बना सकेगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभा सदस्यों के ईंधन लकड़ी और अन्य लघु वन उपज संग्रहीत करने के हित संरक्षित रहें।

(3) ग्राम सभा, वन का संरक्षण करने, पर्यावरण सुधारने और स्थानीय स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कर सकेगी।

(4) ग्राम सभा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाली लकड़ी या वन उपज के बारे में, विभागीय अनुज्ञापत्र के बावजूद, पूछताछ करने के लिए सक्षम होगी। ग्राम सभा अवैध संक्रिया के संदेह की दशा में, अपने प्रधान के माध्यम से, इसे घटनास्थल पर रोकने के लिए सक्षम होगी।

19. **बाज़ार पर नियंत्रण** .— (1) ग्राम सभा, धारा 97-झ (ग) के अधीन, ग्राम पंचायत के माध्यम से, अपने क्षेत्र के भीतर बाजारों को नियंत्रित करने और उनका प्रबंध करने के लिए सक्षम होगी। ग्राम सभा का यह कर्तव्य होगा कि वह ,—

(क) बाज़ार में दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए जल, शैड और अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी ;

(ख) बाज़ार में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश और विक्रय पर प्रतिबंध लगायेगी ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि संव्यवहारों में भार, माप और संदाय वास्तविक है ;

(घ) प्रभारित किए जा रहे मूल्यों के बारे में जानकारी अभिप्राप्त और सांझा करेगी ;

(ङ) मूल्यों की बावत धोखाधड़ी या गलत जानकारी सहित समस्त अत्रुजु व्यवहार प्रतिबंधित करेगी ;

(च) बाज़ार में या इसके आसपास के क्षेत्र में द्यूत, बाजी लगाना, भाग्य आजमाना, मुर्गबाजी आदि प्रतिबंधित करेगी ; और

(छ) बाज़ार में दूकानदारों पर कर या तह—बाजारी अधिरोपित करेगी :

परन्तु बाजार के अपने उत्पाद का विक्रय करने हेतु आने वाले लघु विक्रेताओं पर कोई कर या तह—बाजारी अधिरोपित नहीं की जाएगी । ग्राम सभा यह विनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी कि कौन लघु विक्रेता के रूप में अर्हित होता है ।

(2) ग्राम सभा, अपने क्षेत्र में ग्रामों के बाजार का प्रबंध करने के लिए एक बाजार समिति का गठन कर सकेगी । बाजार समिति, ऐसे बाजार कर व्यवस्था के लिए और उस स्थान पर, जहाँ बाजार लगाया जाता है, शांति बनाए रखने के लिए तथा बाजार के, बिना किसी विरोध या झगड़े के, शांतिपूर्वक कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए भी जवाबदार होगी ।

(3) किसी विवाद की दशा में, बाजार समिति के विनिश्चय को ग्राम सभा में चुनौती दी जा सकेगी । ग्राम सभा का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **धन उधार देने वाले संव्यवहारों पर नियंत्रण .-** (1) किसी विधि में कोई उपबंध होते हुए भी, पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्याक 40) की धारा 4 (ड) की भावना के अनुसार, ग्राम सभा, धारा 97 (झ) (घ) के उपबंधों के अधीन समस्त सभा सदस्यों को उधार देने वाले संव्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए सक्षम होगी और ग्राम सभा, इस प्रायोजन के लिए, ग्राम सभा द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले पांच सदस्यों से अन्यून सभा सदस्यों से गठित एक ऋण नियंत्रण समिति बना सकेगी ।

**स्पष्टीकरण .-** धन उधार देने वाले संव्यवहारों में किसी अधिनियम के अधीन या निजी तौर पर अथवा अनौपचारिक रूप से, प्रथा के अनुसार या अन्यथा सरकार, सहाकारी सोसाइटी, धन उधारदाताओं, बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा विस्तारित उधार आदि सम्मिलित होगा ।

(2) ग्राम सभा, प्राइवेट संव्यवहारों के मामलों में अधिकतम ब्याज और प्रतिसंदाय की शर्त विनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी ।

(3) ग्राम सभा, ग्रामीणों को किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए उधार, इसकी शर्तें, प्रतिसंदाय परिस्थिति इत्यादि की बाबत कोई जानकारी मांग सकेगी । इन मामलों में, सूचना मांगने पर, संबंधित व्यक्ति या संस्था, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से ग्राम सभा द्वारा विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर ग्राम सभा को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराएगी ।

(4) कोई सभा सदस्य, किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा दिए गए उधार की बाबत, किसी प्रकार की अनियमितता, संव्यवहार में भ्रष्टाचार, आगम की वसूली, उधार आदि का प्रतिसंदाय करने में अक्षमता के बारे में ग्राम सभा या ऋण नियंत्रण समिति के समक्ष अपना मामला लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत कर सकेगा । यदि कोई मौखिक शिकायत है तो, यह ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक का कर्तव्य होगा कि वह उसको लेखबद्ध करे और उसे अभिलेख में रखे ।

(5) उप नियम (4) में वर्णित आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यदि ग्राम सभा स्वयं या ऋण नियंत्रण समिति के निष्कर्षों के आधार पर यह समझती है कि आवेदक के साथ अन्याय हुआ है तो, यह संबंधित संस्था/व्यक्ति को उक्त अन्याय का प्रतितोष करने के लिए अनुदेश दे सकेगी।

(6) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से, विशेषकर जनजातियों की दशा में, किसी बैंक, सोसाइटी या किसी उधार दाता को अनुदेश दे सकेगी कि उधार केवल ग्राम सभा या इसकी ऋण नियंत्रण समिति की उपस्थिति में संवितरित किए जाएं। इसी प्रकार के अनुदेश उधार के प्रतिसंदाय के बारे में भी जारी किए जाएं। ग्राम सभा के अनुदेश बाध्यकारी होंगे।

(7) यदि संबंधित संस्था को उप नियम (6) में वर्णित अनुदेशों की बाबत कोई आक्षेप है तो वह जिला समाहर्ता को अपील कर सकेगी। जिला समाहर्ता एक मध्यस्थ, जो उक्त अपील को विनिश्चित करेगा, की नियुक्ति करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(8) ग्राम सभा, गांव में समस्त प्रकार के श्रमिकों के लिखित, मौखिक और अनौपचारिक करारों का पुनर्विलोकन कर सकेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उधार के प्रतिसंदाय के लिए कोई बंधवा मजदूर तो नहीं है।

**21. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन .—** (1) ग्राम पंचायत सभा क्षेत्र के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर ग्राम सभा का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी।

(2) सभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम या परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, सरकारी विभाग, कोई अन्य संस्था, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव को ग्राम सभा के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी और ऐसे प्रस्ताव में ,—

(क) गांव के विकास के लिए अंतिम उद्देश्यों के संदर्भ में कार्यक्रम की सुसंगति और महत्व ;

(ख) कार्यक्रम के पूर्ण वित्तीय ब्यौरे जैसे कि सरकार द्वारा व्यय, उधार या सहायता ; और

(ग) निर्माण कार्यों की बाबत मामलों में, उनका आयाम, निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकी और मशीनों का उपयोग, स्थानीय कर्मकारों की भागीदारिता, ठेकेदारों की भूमिका आदि सम्मिलित होंगी।

(3) ग्राम सभा, योजना, कार्यक्रम या परियोजना को या तो उसी रूप में, जिसमें यह संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अनुमोदित करेगी या इसे कतिपय शर्तों, जिनको यह उचित समझे, सहित अनुमोदित करेगी और अनुमोदन प्रदान करते हुए यह गाँव(वों) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपांतरण कर सकेगी। ग्राम सभा का, इस निमित्त, विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**22. सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के विनिश्चय का अनुपालन .—** (1) ग्राम पंचायत और इसकी समितियां ग्राम सभा के नियंत्रण और निदेशन के अधीन कार्य करेगी और ग्राम सभा के प्रति पूर्णतया जवाबदार होगी।

(2) ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करेगी और इन नियमों तथा

ग्राम सभा के निदेशों के बीच किसी विरोध की दशा में, पश्चात्कथित को अग्रता दी जाएगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, यदि ग्राम सभा ऐसा कोई विनिश्चय करती है, जो प्रतिबाधा उत्पन्न करता है या किसी विभाग या अधिकारी के शासकीय कार्य में प्रतिबाधा की संभावना हो, तो निम्नलिखित रूप से कार्रवाई की जाएगी :-

(क) संबन्धित विभाग का प्रतिनिधि या अधिकारी विवादग्रस्त मामले पर कार्रवाई मुलतवी करेगा और अपना दृष्टिकोण ग्राम सभा को और इसके विनिश्चय पर पुनर्विचार करने के अनुरोध सहित प्रस्तुत करेगा ; और

(ख) यदि उक्त विभाग ग्राम सभा के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होता हो, तो वह मामले को जिला समाहर्ता को निर्दिष्ट करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

23. **संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण करने की शक्तियां** .- (1) पंचायत समिति, धारा 97-झ (2)

(क) के अधीन विभिन्न विभागों नामतः कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्कीमों के कृत्यकरण का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने के लिए सक्षम होगी। पंचायत समिति के पदाधिकारी उक्त विभागों के खण्ड और ग्राम स्तरीय कृत्यकारियों की उनके कार्य के समनुदेशित क्षेत्रों में शारीरिक उपस्थिति के बारे में निरीक्षण करने और रिपोर्ट करने के लिए सक्षम होंगे।

(2) पंचायत समिति, अपने सचिव के माध्यम से उप नियम (1) में वर्णित विभागों के खण्ड स्तरीय कृत्यकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के लिए निदेश जारी करेगी और उनके प्रवास कार्यक्रम भी अनुमोदित करेगी।

(3) पंचायत समिति का अध्यक्ष उप नियम (1) में वर्णित विभागों के खण्ड स्तरीय कृत्यकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करेगा।

आदेश द्वारा  
सचिव (पंचायती राज)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या-पीसीएच-एचए(1) 4/2006-111-45285-307 तारीख, शिमला-9, 26 मार्च, 2011

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु:-**

1. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन, हिमाचल प्रदेश शिमला-2
3. आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश शिमला-9
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश शिमला-9
5. उपायुक्त, जिला चम्बा, किन्नौर एवं लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
6. जिला पंचायत अधिकारी, जिला चम्बा, किन्नौर एवं लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
7. प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा/ बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश।

8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, जिला चम्बा, किन्नौर एवं लाहौल स्पिति, हि0 प्र0।
9. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005 को इस अनुरोध सहित कि वह उक्त अधिसूचना को राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशित कर विभाग को अधिसूचना की 10 प्रतियां उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

विशेष सचिव (पंचायती राज)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

**(Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)4/2006-III-45385-307, dated 26<sup>th</sup> March, 2011 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India)**

**Government of Himachal Pradesh  
Department of Panchayati Raj.**

...

**NO.PCH-HA(1)4/2006-III.**

**Dated Shimla-171 009, the 26<sup>th</sup> March, 2011.**

**Notification**

Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Extension to the Scheduled Areas) Rules, 2011, were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 5<sup>th</sup> March, 2011 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby vide notification No.PCH-HA(1) 4/2006-III, dated 1<sup>st</sup> March, 2011 as required under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 ;

And whereas no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 186 read with section 97-C, 97-F, 97-G, 97-H and 97-I of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying the purposes of the aforesaid Act, namely:-

**1. Short title and extent.-** (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Extension to the Scheduled Areas ) Rules, 2011.

(2) The provisions of these rules shall apply to the Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads constituted in the scheduled areas of the State.

**2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(b) "Community resources or resources" means and include land excluding the land owned by individuals, water, forest, minerals and other resources located in the territorial domain of a Sabha area;

(c) "Consultation" means a mandatory consultation under these rules;

(d) "Gram Sabha" means and consist of persons whose names are included in the electoral rolls of a Gram Panchayat;

- (e) "Minor Forest Produce" means and includes all non-timber forest produce of plant origin including chilgoza, neyoza, bhojpatra, akhrot, ratanzot, shingni mingni, kashmal, bamboo, brush wood, stumps, cane, tussar, cocoons, honey, wax, lac, tendu, or kendu leaves, medicinal plants and herbs, roots, tubers such as sath jnlori, karoo, dhoop, chora, banafsha, mushk bala, mamiri, ban ajwain, guchchi, dori, kakarsinghi, salm mishri, thuth, kala zira, butkesh, gloe salam panja, nihani, buch, kail cones, dusgtuli, chalora, taispatra, kapper kuchri, patishan roots, bichu buti, deodar rosseite, kush cones, bari phool, kainth, bindi phool, brass phool, pthan bail, green mousghass, khaarera/basanti, ban haldi, bather patta or any other minor forest produce available in scheduled areas of the State and declared as such;
- (f) "Minor Water body" means water body used for fetching drinking water whether a stream, a rivulet, lake and on which the construction of check dams can be made and which has a capacity of irrigating land up to 5 hectares;
- (g) "Panchayat at appropriate level" means the lowest tier of Panchayat which can perform a particular function or in whose area a particular resource is situated; and
- (h) "Scheduled Areas" means the Schedule Areas declared under clause (1) of article 244 of the Constitution of India.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act and rules made thereunder.

**3. Gram Sabha to safeguard natural resources.-** (1) Gram Sabha, under section 97-C, shall be competent to safeguard and preserve the natural resources located in its area as well as those over which it enjoys traditional rights in relation to water, forest, land and mineral as per local tradition and the spirit of the laws of the Central and State Governments.

(2) The Gram Sabha shall ensure that resources are utilized in such a way that,-

- (a) livelihood means are sustained;
- (b) inequality among the people does not increase;
- (c) resources are not confined to a few people; and
- (d) there is full utilization of local resources, in keeping with sustainability,

and the management of resources shall be done by the Gram Sabha keeping in view the inherent spirit of the community legacy by honouring the individual rights over natural and other resources as per the prevalent rules.

**4. Resource, planning and management committee.-** (1) The Gram Sabha shall constitute a Resource Planning and Management Committee (hereinafter referred to as 'RPMC') consisting of the Pradhan of the Gram Panchyat and at least five other sabha members to be nominated by the

Gram Sabha, who are not the office bearers of the Gram Panchayat.

(2) The term of the RPMC shall be co-terminous with the term of the Gram Panchayat.

(3) The meeting of the RPMC shall be held at least once a year and it shall be the duty of the Pradhan to convene such meeting. The Secretary or the Panchayat Sahayak, as case may be, shall be the Secretary of the RPMC.

(4) The representatives of the Development Block level offices of the Agriculture, Forest, Horticulture, Industries, Irrigation and Public Health and Revenue departments of the State Government shall function as advisors to the RPMC and shall also attend its meetings.

(5) The RPMC shall chalk out a plan for the best possible use of all the resources within the sabha area and shall advise and cooperate with the sabha members to make use of them accordingly.

(6) The RPMC shall consider all the aspects, including difference of opinion or dispute about the management and use of the resources and in case the RPMC is not able to resolve any issue then the said issue shall be referred to the Gram Sabha for consideration. The decision of the Gram Sabha thereon shall be final.

**5. Gram Sabha to plan for farming.-** (1) Gram Sabha, under section 97-C, shall be competent to plan and take action for making farming economically viable by considering the measures for, -

- (a) prevention of soil erosion;
- (b) regulating grazing in order to protect crops and enhance the capacity of meadows;
- (c) harvesting rain water for its use in farming and for its distribution;
- (d) ensuring provision of seeds, manure etc. as well as knowledge sharing with mutual cooperation or otherwise; and
- (e) promoting organic manures, fertilizers and insecticides.

**6. Land management.-** (1) The Gram Sabha, within its area, shall be competent to review records of the entire land of the village for ensuring that the farmer's names are correctly recorded and records are properly maintained;

(2) It shall be mandatory for concerned revenue officials to take permission from the Gram Sabha prior to transfer of land by sale, mortgage, lease-contract etc in which the owner or tiller of the land changes.

**7. Prevention of land alienation.-** (1) The Gram Sabha Shall ensure that no land belonging to a Scheduled Tribe is transferred to a non-scheduled Tribe person. If any case of alienation of such land comes to the notice of the Gram Panchayat or the Gram Sabha, in that event it shall be the duty of the Pradhan to make a report in this regard to the concerned authority of the Revenue

Department of the State Government. The said authority shall take further necessary action for restoration of unlawfully alienated land to the actual owner of the land.

(2) The Gram Sabha shall be competent to enquire into any land transactions on the basis of complaints or suo-moto. The enquiry report of the Gram Sabha shall be forwarded by the Pradhan of the Gram Panchayat concerned to the concerned authority of the Revenue Department of the State Government along with a copy each of the said report to the Chairman of the Panchayat Samiti and Zila Parishad concerned.

(3) If the Gram Sabha is of the opinion that attempts are being made to alienate lands belonging to a Scheduled Tribe, it shall issue instructions to prohibit such transaction. The decision of the Gram Sabha in such cases shall be final and binding upon the concerned revenue authority.

**8. Restoration of alienated land.-** (1) If Gram Sabha finds that any person other than a member of the scheduled tribe, without any lawful authority, is in possession of any land owned by of a scheduled tribe, it shall, through the Pradhan of the Gram Panchayat, take up the matter with the concerned authority of the Revenue Department of the State Government for restoration of the possession of such land to that person to whom it originally belonged and if that person is dead, in that event to his legal heirs.

(2) In case of dispute regarding restoration of land under sub-rule (1), the Gram Sabha shall follow its customary mode of dispute resolution.

**9. Consultation before land-acquisition.-** (1) When the government considers any case of land acquisition under any law for the time being in force, the government or the concerned authority shall submit to the Gram Sabha as per provisions of section 97-F, the following written information along with the proposal:-

- (a) the complete outline of the proposed project including the possible impact of the project;
- (b) proposed land acquisition;
- (c) new people likely to settle in the sabha area and possible impact on the area and society;
- (d) the proposed participation, amount of compensation, job opportunities, for the people of the village; and
- (e) the rehabilitation and sustainable livelihood plan.

(2) After getting complete information, the concerned Gram Sabha shall be competent to summon the representatives of the concerned authorities and the government to examine them either individually or collectively. It shall be mandatory for all such persons summoned to furnish point-

wise clear and correct information.

(3) The Gram Sabha, after considering all the facts shall make a recommendation regarding the proposed land acquisition and rehabilitation plan of persons to be displaced.

(4) The recommendation of the Gram Sabha shall be considered by the land Acquisition Officer.

(5) In case the land Acquisitions Officer is not in agreement with the recommendations of the Gram Sabha, he shall send the case again to the Gram Sabha for reconsideration.

(6) If after a second consultation, the Land Acquisition Officer passes an order against the recommendations of the Gram Sabha, he shall record the reasons for doing so in writing.

(7) In case of industrial projects, the Gram Sabha(s), of whose area is/are influenced by such projects, shall be consulted. In the event of more than one Gram Sabha, in case of difference of opinion amongst the Gram Sabhas, the matter shall be resolved at the Panchayat Samiti level, whose decision thereon shall be final.

(8) The progress report of rehabilitation and sustainable livelihood plan shall be placed before the Gram Sabha after every three months from the date of notification for land acquisition.

(9) If in the opinion of the Gram Sabha, the Panchayat Samiti, as the case may be, suggested measures are not followed, the Gram Sabha may inform the concerned department of the State Government in writing regarding the same, and it shall be mandatory for the said department to take appropriate action.

**10. *Planning and management of water resources.***- (1) The management and use of water resources shall be planned by the Gram Sabha, as per provisions of section 97-G of the Act, in such a manner that these are kept intact for future generations, and all the villagers have equal rights over these resources.

(2) Water bodies within a Gram Panchayat shall be managed by the Gram Panchayat, those extending to more than one Gram Panchayat area, by the Panchayat Samiti concerned and those extending to more than one Panchayat Samiti area, by Zila Parishad.

(3) The Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, as the case may be, after consulting the RPMC and the Gram Sabhas concerned, keeping in view its traditions and the spirit of prevalent laws, shall regulate the use of available water in the village for various purposes and also decide about the priority of use.

**11. *Management of land for ponds.***- The Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, as the case may be, shall make arrangements for the farming of land available as a consequence of the receding of water level of ponds meant for the irrigation and other purposes, in consultation with

RPMC and concerned departments. It shall also decide about the levy rate on that land, keeping in view State Government rules.

**12. Fishing etc.-** (1) All Gram Sabha members shall have equal rights for fishing as per the convention in the water resources located within the territory of the village.

(2) The Gram Panchayat shall impose necessary conditions, keeping in view the local traditions, regarding any aspect of fishing to ensure that one or more persons do not encroach their limit in an unjust manner and also to maintain the availability of the fish.

**13. Gram Sabha to plan for minor minerals.-** (1) The Gram Sabha, under section 97-H, shall be competent to plan and control the excavation and use of all the minor minerals including soil, stones, sands, etc in the Sabha area. The decision of the Gram Sabha taken in this behalf shall be implemented by the Gram Panchayat concerned.

(2) The sabha members may use minor minerals for their individual needs as per their traditional practice subject to the condition that,-

- (a) the Gram Sabha shall decide the extent of use of the minor minerals such as stone, sand, etc for making Pukka houses different from the traditional dwellings and may also impose royalty thereon which shall form part of the Panchayat fund ;
- (b) the permission of Gram Panchayat shall be compulsory for use and exploitation of minor minerals; and
- (c) the Gram Sabha shall fix the responsibilities such as filling up of pits, planting trees, constructing ponds etc. by persons undertaking excavation for use of minor minerals to compensate for ill effects of excavation.

(3) The concerned department of the State Government may award mining lease for minor minerals only in consultation with Gram Sabha by incorporating additional conditions, if any, imposed by the Gram Sabha for protecting the environment, employment, etc for such leases.

(4) (a) In villages having commercial feasibility of minor mineral production, before permitting the minor minerals to be used commercially, it shall be the responsibility of the concerned department of the State Government to consult Gram Sabha.

(b) If any condition has been imposed by the Government for the protection of the environment etc. the concerned officer shall provide complete information to the Gram Sabha in this regard.

(c) The plan for exploitation of minor minerals shall include arrangements such as excavation area, the type of area, managing of ill effects of excavation such as existence

of pits, water shortage or reduction in vegetation, effect of ash or smoke on fields, etc. so as to nullify all these effects by filling up the pits, planting trees or by taking other suitable measures.

(5) If any concession is given by any Government department for the exploitation of minor minerals, it shall be mandatory for the said department to obtain the permission of the Gram Sabha for grant of concession for exploitation of minor minerals by auction.

**14. Regulation of intoxicants.-** (1) The Gram Sabha, under section 97-I (b), shall be competent to enforce prohibition or regulation or restriction on sale and consumption of any intoxicant within its limits for which the Gram Sabha, by a resolution passed in this behalf, may,-

- (a) completely stop the relaxation of allowing tribals to make local liquor for their own use or impose any type of ban on it in the village;
- (b) give instructions to stop the sale of any type of intoxicant from a shop or in any other manner:

Provided that these instructions shall come into force from the forthcoming financial year;

- (c) impose restrictions on bringing in any type of intoxicant or taking it outside the village territory;
- (d) prohibit or fix a limit on the storage of intoxicants at any place;
- (e) completely stop the use of liquor or other intoxicants in its area or impose any restriction;
- (f) regulate the sale of material used for brewing of liquor such as corn, fruits, Jaggrey etc. ;  
and
- (g) regulate the use of locally made liquor such as anguri, sulphi, chuli, bemi, apple, kiwi, brandy, chhang or known by any other local name.

(2) (a) The Gram Sabha may constitute an Intoxication Control Committee, consisting of at least seven members to be nominated by the Gram Sabha, to inquire into matters relating to intoxicants either on the basis of complaint(s) or suo motto, and to make suitable suggestions regarding the control of intoxicants for the benefit of the Sabha members:

Provided that at least half of the members of the Intoxication Control Committee shall be women.

(b) The Intoxication Committee shall,-

- (i) ensure as to whether the factories/distilleries manufacturing any type of intoxicants are adhering to all the conditions mentioned in the license and in case of any infringements,

report the matter to the Gram Sabha for initiating further action through the competent excise authorities; and

- (ii) ask the owner of the concerned factory/distillery to present all matters relating to the welfare of the people including manufacture of liquor, distribution system, its environmental impact etc. before the Gram Sabha.
  - (c) The Gram Sabha through the Pradhan of the Gram Panchayat may take advice and help from the Excise Department for the smooth functioning of the Intoxication Control Committee.
- (3) (a) Without the concurrence of the Gram Sabha, no factory/distillery for manufacturing liquor or other intoxicants shall be established.
- (b) Proposal to establish a factory/distillery to manufacture liquor or other intoxicants or to open a new shop for the sale of liquor in the limits of a Gram Sabha, by the Government or any other agency, shall be presented before the Gram Sabha for consultation through the Pradhan of the Gram Panchayat. Such proposal shall be presented for the information of the sabha members in the meeting of the Gram Sabha, which shall be considered in the next meeting or in a special meeting of the Gram Sabha. The decision of the Gram Sabha on the said proposal shall be final.
  - (c) In case the Gram Sabha does not arrive at any decision on the issue or if the proposal is not considered, then that proposal shall be deemed not to have been accepted.

**15. Consultation with Gram Sabha for exploitation of forest produce.-** (1) Before chalking out the departmental programme for exploitation of forest produce under section 97-I (a), the Forest Department shall consult the Gram Sabha.

(2) The Forest Department shall ensure that the exploitation of the forest produce is in consonance with the scheme chalked out with people's consent keeping in view the general Forest laws and no such plants/ trees shall be cut which are useful to the local people. It shall also be ensured that there is no illegal export of the forest produce.

(3) Despite any provisions about minor forest produce in any law for the time being in force, the management of forest produce shall be done to protect the right of ownership, access to collect, use and dispose of minor forest produce which has been traditionally collected within or outside the sabha area in consonance with section 3 of the Forest Rights Act, 2006.

(4) The Gram Sabha may chalk out an action plan about the use or exploitation of minor forest

produce in consultation with the forest officer concerned.

(5) Gram Sabha may, in case of limited quantity of a minor forest produce, make a cyclic arrangement for its collection and use by a few people such as re-sourceless and economically weaker groups.

(6) Gram Sabha shall be competent to ensure strict compliance of rules for the exploitation of minor forest produce so that the persons collecting minor forest produce do not commit any act which damages the forest.

**16. Royalty on minor forest produce.-** (1) The Forest Department, keeping in view the sale price of the minor forest produce, from time to time, shall determine and notify the royalty payable by the trader of minor forest produce.

(2) The trader of the minor forest produce shall make an application to the Gram Panchayat concerned through its Pradhan for issue of transit permit for export of minor forest produce.

(3) Immediately after receipt of the application(s), the Pradhan of the Gram Panchayat shall place the same in the meeting of the Gram Panchayat for consideration and approval.

(4) Subject to the approval of the Gram Panchayat, it shall be the duty of the Pradhan to forward the said application(s) to the concerned forest guard of the forest department for recommendations. On receipt of the said application(s), the forest guard shall verify that the species have been extracted from the specified area in accordance with the approved extraction cycle and that the extraction has been done in a sustainable manner and has not caused any ecological or environmental damage in the area and shall return the said application to the Pradhan of the Gram Panchayat concerned after his written recommendations on the said application(s) for issue of transit permit(s).

(5) After receiving the recommendation of the forest guard, the Pradhan, through the Secretary or the Panchayat Sahayak, as the case may be, shall realize permit fee from the trader(s) for export of minor forest produce against receipt issued in Form-3 appended to the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002 at such rates as are notified by the Forest Department of the State Government from time to time.

(6) After the completion of the process mentioned in sub-rules (3) and (4), the transit permit(s) shall be issued to the applicant(s), on the Form specified under the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978, duly signed by the Secretary or the Panchayat Sahayak, as the case may be, and countersigned by the Pradhan of the Gram Panchayat. The duplicate copy of the transit permit shall also be forwarded to the Divisional Forest Officer concerned.

(7) It shall be the duty of Secretary or the Panchayat Sahayak, as the case may be, to give the

following details on the transit permit:-

- (a) resolution number and date of meeting in which the Gram Panchayat has approved the matter regarding issue of transit permit;
- (b) the type and quantity of the minor forest produce proposed to be exported;
- (c) the amount of permit fee realized along with the receipt number of the Gram Panchayat; and
- (d) the period for which the transit permit shall be valid:

Provided that the validity of any transit permit, under no circumstances, shall exceed a period of six months from its date of issue.

(8) The amount of fee realized for issue of transit permit for export of minor forest produce shall form part of the Panchayat fund and shall immediately be deposited in the account of the Gram Panchayat in post office or co-operative bank or a scheduled bank, as the case may be, where the Panchayat fund is kept.

(9) It shall be the duty of the Secretary or the Panchayat Sahayak, as the case may be, to place the following details with regard to issue of permit in the Gram Sabha meetings for the information of the sabha members:-

- (a) number of transit permit(s) issued;
- (b) names of the trader(s) to whom the transit permit(s) have been issued;
- (c) types and quantity of the minor forest produce for which transit permit(s) have been issued; and
- (d) amount of permit fee realised.

(10) The Divisional Forest Officer shall maintain the record pertaining to permits issued by the Gram Panchayats, fee realized, type and quantity of minor forest produce for which permits have been issued so as to have vigil over the cases of illegal export of minor forest produce and misappropriation of funds.

**17. Official management of minor forest produce.-** (1) If the State Government organizes the trade of any minor forest produce in order to protect tribal interests, that trade shall be treated as trade carried out on behalf of the sabha members, but prior approval of the Gram Sabha shall be compulsory for the said arrangement. On the basis of suggestions of the Gram Sabha, necessary changes shall be carried out in such trade.

(2) In such trade, Gram Sabha and the persons collecting and trading in minor forest produce shall have complete right over net profit.

**18. Scheme for minor forests produce.-** (1) For meeting the requirements of sabha members such as grazing, fuel wood, making houses and ploughs, the Gram Sabha shall chalk out a scheme for the use of forest resources used traditionally by the people in consultation with the concerned Forest Officer. Under this scheme every person residing in the sabha area shall be able to use the resources after getting written permission from the RPMC.

(2) Gram Sabha may make regulations so as to ensure that the interest of the sabha members for collecting the fuel wood and other minor forest produce are protected.

(3) Gram Sabha may chalk out suitable programmes to conserve the forest, improve the environment and enhance employment at local level in their respective areas.

(4) Gram Sabha shall be competent to make enquiries, despite the departmental permit, about the wood or the forest produce passing through its areas. In the case of a doubt of illegal operations, Gram Sabha through its Pradhan shall be competent to stop it on the spot.

**19. Control over markets.-** (1) Gram Sabha, under section 97-I (c), through the Gram Panchayat, shall be competent to control and manage the markets within its territory. It shall be the duty of the Gram Panchayat to,-

- (a) make available water, sheds and other physical facilities to the shopkeepers and the consumers in the market;
- (b) prohibit the inflow and sale of harmful objects in the market;
- (c) ensure that the weight, measurement and payment in the transactions are genuine;
- (d) obtain and share information about the prices being charged;
- (e) prohibit all unfair practices, including cheating or misinformation regarding prices;
- (f) prohibit gambling, betting, testing luck, cock-fighting etc. in the market or its surrounding area; and
- (g) levy tax or teh-bazari on the shopkeepers of the market:

Provided that no tax or teh-bazari shall be levied on small vendors coming to the market to sell the yield. The Gram Sabha shall be competent to decide who qualifies as a small vender.

(2) Gram Sabha may constitute a Market Committee for the management of the market of the villages in its area. Market Committee shall be accountable for the arrangement of such market and for keeping peace at the place where the market is held and also for ensuring smooth functioning of the market without any conflict or quarrel.

(3) In case of any dispute the decision of the Market Committee may be challenged in Gram

Sabha. The decision of Gram Sabha thereon shall be final.

**20. Control over money lending transaction.-** (1) Notwithstanding any provisions in any law, as per the spirit of section 4 (m) of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 [Act No.40 of 1996], the Gram Sabha, under provisions of section 97-I (d), shall be competent to control money lending transactions of all the sabha members and for this purpose, the Gram Sabha may form a Debt Control Committee consisting of not less than five sabha members to be nominated by the Gram Sabha.

**Explanation.-** Money lending transactions shall include loan etc. extended by the government, co-operative society, money lenders, banks and other institutions under an Act or privately or informally, as per the convention or otherwise.

(2) Gram Sabha shall be competent to decide the condition of maximum interest and repayment in the matters of private transactions.

(3) Gram Sabha may ask for any information regarding the loan extended by any person or institution to the villagers, its conditions, repayment status etc. In these matters, on being asked for the information, the concerned person or institution shall provide complete information to the Gram Sabha within the reasonable time specified by the Gram Sabha through the Pradhan of the Gram Panchayat.

(4) A sabha member may put up his case in writing or orally before the Gram Sabha or Debt Control Committee regarding any kind of irregularity, corruption in transaction, the recovery proceeding, inability to repay the loan etc. in respect of the loan extended by any institution or person. If there is an oral complaint, it shall be the duty of the Secretary or Panchayat Sahayak of the Gram Panchayat to get the same reduced in writing in this regard and to keep the same in records.

(5) After considering the application mentioned in sub-rule (4) if the Gram Sabha itself or on the basis of the conclusions of the Debt Control Committee finds that there has been injustice with the applicant, it may instruct the concerned institution/person to redress the said injustice.

(6) Gram Sabha, through the Pradhan of the Gram Panchayat especially in the case of the tribals, may instruct a bank, society or any lender that loans be disbursed only in the presence of Gram Sabha or its Debt Control Committee. The same instructions may be issued about the repayment of the loan. The instructions of Gram Sabha shall be binding.

(7) If the concerned institution has any objection with regard to the instructions mentioned in sub-rule (6), it may appeal to the District Collector. The District Collector shall appoint an arbitrator,

who shall decide the said appeal, whose decision thereon shall be final.

(8) Gram Sabha may review written, oral and informal agreements of all kinds of labourers in the village and ensure that there is no bonded labour for repayment of loan.

**21. Approval of programmes by Gram Sabha.-** (1) The Gram Panchayat shall obtain the approval of the Gram Sabha on plans and projects for the sabha area.

(2) Before starting any programme or project in the sabha area, the Gram Panchayat, government department, any other institution, as the case may be, shall submit the proposal before the Gram Sabha through the Pradhan of the Gram Panchayat for its approval and such proposal shall include,-

- (a) the relevance and importance of the programme with reference to the objectives finalized for the development of the village;
- (b) the full financial details of the programme, such as expenditure by government, loan or aid; and
- (c) in matters regarding construction works, their dimension, construction material, use of technology and machines, participation of the local workers, the role of contractors etc.

(3) The Gram Sabha shall approve the plan, programme or project in the form in which it is presented by the concerned institution or approve it with certain conditions as it may deem fit and while giving an approval it may make necessary modifications keeping in mind the situation of the village(s). The decision of the Gram Sabha, in this behalf, shall be final and binding.

**22. Compliance of decision of Gram Sabha by Government Departments and Gram Panchayat.-**

(1) The Gram Panchayat and its committees shall work under control and direction of the Gram Sabha and shall be wholly accountable to the Gram Sabha.

(2) The Gram Panchayat shall function as per the rules made under the Act and in case of any conflict between these rules and directives of the Gram Sabha, the latter shall have precedence.

(3) While using its right under sub-rule (2), if the Gram Sabha takes a decision which causes hindrance or there is possibility of hindrance in the official work of any department or officer, action shall be taken as follows:-

- (a) the representative or the officer of the concerned department shall postpone the action on the disputed matter and present his point of view to the Gram Sabha and with a request to reconsider its decision; and
- (b) if the said department is not satisfied with the decision of the Gram Sabha, it shall refer the matter to District Collector whose decision thereon shall be final.

**23. Powers to exercise control over institutions and functionaries.-** (1) The Panchayat Samiti, under section 97-I (2)(a), shall be competent to supervise and monitor the functioning of schemes of the departments, namely, Agriculture, Animal Husbandry, Ayurveda, Education, Food and Supplies, Forest, Health and Family Welfare, Horticulture, Industries, Irrigation and Public Health, Public Works, Revenue, Rural Development and Social Justice and Women Welfare. The office bearers of Panchayat Samiti shall be competent to inspect and make report about the physical attendance of the block and village level functionaries of the said departments in their assigned areas of work.

(2) The Panchayat Samiti, through its Secretary shall issue directions for field visit by the Block level functionaries of the departments mentioned in sub-rule (1) and also to approve their tour programmes.

(3) The Chairman of the Panchayat Samiti shall record his remarks on the annual confidential reports of the Block level functionaries of the departments mentioned in sub-rule (1).

**By order**  
**Secretary(Panchayati Raj) to the**  
**Government of Himachal Pradesh.**

**Endst. NO. PCH-HA(1)4/2006-III-45285-307**

**Dated, Shimla-9, the 26<sup>th</sup> March, 2011.**

**Copy for information and necessary action forwarded to:-**

1. All the Principal Secretaries/ Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Commissioner, Excise & Taxation Department, Shimla-9.
4. The Engineer-in-Chief, I&PH, Himachal Pradesh-Shimla-9.
5. The Deputy Commissioners of District Chamba, Kinnaur & Lahaul Spiti, HP.
6. The District Panchayat Officers of District Chamba, Kinnaur & Lahaul Spiti, HP.
7. Principal, Panchayati Raj Training Institute, Baijnath & Mashobra.
8. All the Block Development Officers of District Chamba, Kinnaur and Lahol Spiti HP.
9. Controller Printing and Stationary Department, H.P. Shimla-171005 with the request that the above notification may kindly be published in Rajpatra.

**Special Secretary (Panchayati Raj) to the**  
**Government of Himachal Pradesh.**